पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
प्रथम तल आईसीएडीआर भवन, प्लॉट न॰ 6,
वसंत कुंज इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
फेज़ – 2, नई दिल्ली – 110070
दूरभाष : 91-11-26897948 / 49
फैक्स : 91-11-26897938
वेबसाइट : www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
1st Floor, ICADR Building, Plot No. 6,
Vasant Kunj Institutional Area,
Phase - II, New Delhi - 110070
Tel : 91-11-26897948 / 49
Fax : 91-11-26897938
Website : www.pfrda.org.in

परिपत्र

दिनांक: 27.07.2015

पीएफआरडीए/2015/20/एपीवाई/1

सेवा में,

सभी बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक/आर.आर.बी), (राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक /ग्रामीण/शहरी सहकारी बैंक /स्थानीय क्षेत्र के बैंक)

विषय: एपीवाई के अंतर्गत अंशदान प्रकियाओं की समय सीमा।

एपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत अभिदाताओं के लिए अंशदान प्रकियाओं के संदर्भ में लें।

2. सभी बैंकों को आवेदन जमा करने के तुरंत बाद प्रान जारी करने और अभिदाताओं को चुने हुए पेंशन राशि को इंगित करते हुए प्राप्ति रसीद दिये जाने की सलाह दी जाती है।

3. अभिदाताओं के रेकॉर्ड से युक्त फाइल को सीआरए प्रणाली में अपलोड करना और न्यासी बैंक के लिए एपीवाई के प्रति एकत्रित निधियों को भेजने का काम प्रान जारी करने के दूसरे दिन बैंकों के द्वारा पूरा होना चाहिए।

अतएव यदि 'टी' प्रान जारी करने का दिन है तो फाइलों को अपलोड और निधियों को भेजने का काम 'टी +1' दिन को होगा।

कियाकलापों को करने की समय सीमा नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	विशिष्ट कार्य	समय सीमा
1.	प्रान का चालू होना	टी
2.	एससीएफ का अपलोड और निधियों को न्यासी बैंक को भेजना	'टी +1'
3.	न्यासी बैंक द्वारा निधि प्राप्ति का पुष्टिकरण (एफआरसी) को अपलोड करना	'टी +2'
4.	अंशदान को मिलाना और लिखना (एम एण्ड बी) तथा यूनिटों का आबंटन	'टी +3'

* 'टी' उस दिन का द्योतक है जब अभिदाता शाखा/बीसी में एपीवाई आवेदन प्रपत्र जमा करता है।

4. एपीवाई के अंतर्गत प्रतिज्ञा करने पर कि अंतर्विष्ट करने के मानदण्डों का योजना के दिशानिर्देशानुसार पालन किया गया है, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी दी गई है। इसलिए, निधियों का समय पर भेजा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

२ का पृष्ठ १

5. जून 2015, के दौरान ऐसे कई उदाहरण देखे गये हैं जहां बैंकों द्वारा इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंशदान का देरी से अपलोड होने पर बकाया ब्याज अथवा विलम्ब की अवधि के दौरान बढ़ती उम्र के कारण अभिदाता पर बढ़े हुए मासिक अंशदान के रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों को उपरोक्त समय सीमा के अनुसार अंशदान अपलोड को सरल एवं कारगर बनाने की सलाह दी जाती है। अंशदान प्रकिया में देरी के कारण किसी बकाया ब्याज अथवा अभिदाता की क्षतिपूर्ति संबंधित बैंक द्वारा की जायेगी।

अभिदाताओं के हितो में सभी बैंकों को सलाह दी जाती हैं कि उपरोक्त निर्दिष्ट समय सीमा का निःसंदेह पालन किया जाना चाहिए।

भवदीय

ए.जी. दास

(ए.जी. दास)
मुख्य महाप्रबंधक